



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012021-224368  
CG-DL-E-13012021-224368

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2021/पौष 23, 1942

No. 21]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2021/PAUSHA 23, 1942

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2021

फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,-

सारणी में,-

1. उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में, हरियाणा के नीचे क्रम संख्या 15 के पश्चात संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“16	सेंटर फॉर फूड रिसर्च एंड एनालिसिस (सी एफ़ आर ए), एन आई एफ़ टी इ एम्, सोनीपत पंजीकरण सं. 63 / एन / एफ़एसएसएआई / 2021 प्लॉट संख्या 97, सेक्टर-56, एच एस आई आई डी सी, इंडस्ट्रियल एस्टेट, कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा -131028	रासायनिक एवं जैविक”।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./457/2020-21]

**टिप्पणी:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन की गई:-

- (i) का.आ. संख्या 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
- (ii) का.आ. संख्या 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017;
- (iii) का.आ. संख्या 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017;
- (iv) का.आ. संख्या 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
- (v) का.आ. संख्या 3068 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
- (vi) का.आ. संख्या 3279 (अ), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
- (vii) का.आ. संख्या 4083 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
- (viii) का.आ. संख्या 848 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
- (ix) का.आ. संख्या 1516 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018;
- (x) का.आ. संख्या 2426 (अ), दिनांक 13 जून, 2018;
- (xi) का.आ. संख्या 6207 (अ), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018;
- (xii) का.आ. संख्या 1377 (अ), दिनांक 8 मार्च, 2019;
- (xiii) का.आ. संख्या 1722 (अ), दिनांक 8 मई, 2019;
- (xiv) का.आ. संख्या 2842 (अ), दिनांक 6 अगस्त, 2019;
- (xv) का.आ. संख्या 3428 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2019;
- (xvi) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 फरवरी, 2020 और
- (xvii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 जुलाई, 2020 और
- (xviii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 4 दिसम्बर, 2020।

## FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2021

**F. No. 12012/01/2019-QA.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes

the following amendments in the notification number S.O. 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6<sup>th</sup> December, 2016, namely:—

In the table,

1. in 'A' related to NORTHERN REGION, under *Haryana* after serial number 15, the following entries shall be inserted in respective columns namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"16	Centre for Food Research and Analysis (CFRA), NIFTEM, Sonipat Reg. No. 63/N/FSSAI/2021 Plot No. 97, Sector-56, HSIIDC, Industrial Estate, Kundli, Sonipat, Haryana-131028	Chemical and Biological"

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./457/2020-21]

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:-

- i. S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017,
- ii. S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017,
- iii. S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017,
- iv. S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017,
- v. S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017,
- vi. S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017,
- vii. S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017,
- viii. S.O. number 848(E) dated the 19th Feb, 2018,
- ix. S.O. number 1516 (E) dated 28th March, 2018,
- x. S.O. number 2426(E) dated 13th June, 2018,
- xi. S.O. number 6207 (E) dated 12th December, 2018,
- xii. S.O. number 1377(E) dated 8th March, 2019,
- xiii. S.O. number 1722 (E) dated 8th May, 2019
- xiv. S.O. number 2842 (E) dated 6th August, 2019
- xv. S.O. number 3428 (E) dated 18th September, 2019
- xvi. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 13th February, 2020
- xvii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 23rd July, 2020 and
- xviii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 4th December, 2020